तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
3/12/24	पत्रावली बाबत आदेश प्रस्तुत हुई।
	प्रकरण निम्न प्रकार है -
	प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 75 LRAct ग्राम बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बीरखेड़ा में प्रार्थी के खाते की आराजी ख.नं. 4,5,7,8,9 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम (1) द्वारा अप्रार्थी क्र. (2) के प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा किसी भी साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन किए बिना जमाबन्दी में स्थगन आदेश लगाने का आदेश प्रदान किया गया है, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। प्रार्थी का कथन है कि राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश में न तो खसरा नम्बर वर्णित है और ना ही खातेदारों के नाम वर्णित है। अप्रार्थी क्रम (1) के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी रिकार्ड नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि सीलिंग कार्यवाही में सम्मिलित हो तथा सीलिंग से प्रभावित है। प्रार्थी द्वारा उक्त याचिका करते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13/8/12 को निरस्त किया जाकर जमाबन्दी में लगा नोट हटाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम (1) तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रतिउत्तर में अंकित किया गया है कि ग्राम बोरखेड़ा के ख.न. 4,5,7,8,9 से सम्बन्धित कई प्रकरण पूर्व में चल रहे हैं। उक्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 21/05/03 को निर्णय पारित किया गया। इसके उपरान्त न्यायालय RAA कोटा द्वारा दिनांक 19/05/05 को अपील	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
को..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	संख्या 384/03 में पारित निर्णय की अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 31/05/2006 को राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर पंडित वगैरह में निर्णय पारित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा दिनांक 25/05/2012 को RAA कोटा के निर्णय दिनांक 19/05/05 में अंकित विवादग्रस्त आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में रिकार्ड की जाँच कर जमाबन्दी पर स्थगन आदेश का अंकन किया गया है। तहसीलदार खानपुर द्वारा वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार की उक्त कार्यवाही स्वाभाविक है और न्यायालय निर्णय की मंशा के अनुरूप है।
	बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन किये बिना लगान का नोट लगानबन्दी पर अंकित किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्वयं द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हस्तगत खसरा नम्बरान राधेश्याम पंडित के सीलिंग प्रकरण से प्रभावित नहीं है। इसके विपरीत पत्रावली में संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 21/05/13 में पेज (22) पर अंतिम तीन लाइनों में स्पष्टतया अंकित है कि "ग्राम बोरखेड़ा में टिकाईबाई पत्नी टहलाराम आहूजा निवासी मानपुरा को 7 बीघा का बेचान 14.7.1970 को किया गया था।" उक्त प्रविष्ठि से प्रमाणित है कि ग्राम	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

12

बोरखेड़ा में रामेश्वर पंडित के सीलिंग प्रकरण से प्रभावित भूमियों का विक्रय टहलाराम आहूजा की पत्नी को हुआ था। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि उनके द्वारा स्थगन का नोट संदर्भित का से स्थगन से प्रभावित भूमियों पर ही लगाया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारे विनम्र मत में प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि हस्तगत खसरा नम्बरान रामेश्वर पंडित के सीलिंग प्रकरण से प्रभावित नहीं है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा हस्तगत खसरा नम्बरान 4,5,7,8 व 9 वाके ग्राम बोरखेड़ा पर माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर के आदेश दिनांक 26/5/12 से प्रभावी स्थगन का नोट त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रवाद अपील

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किता हुक्म की तामील मे जारी हुए

अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम
को अस्वीकार कर खारिज किया जाता
है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित
आदेश दिनांक 13/08/2012 को पुष्ट
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

03/12/2024.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा